तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर– 112/2021 दिनेश कुमार बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

01/10/24 पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि जमीन खसरा नम्बर 1105 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 2850 रकबा 0.90 है0 व 2851 रकबा 1.06 है0 कुल रकबा 1.96 है0 है। जबकि उक्त भूमि का रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा के हिसाब से 2.16 है0 होता है। उक्त जमीन के आवेदकगण खातेदार काश्तकार है जो पटवार हल्का झुन्झुनू में स्थित है। आवेदकगण की जमीन में से कोई भी रास्ता नहीं जाता है परन्तु वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन किये जाने पर उक्त रास्ता नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 2854 (रास्ते) को खसरा नम्बर 2850 में दर्शित कर दिया जबकि मौके पर खसरा नम्बर 2850 व खसरा नम्बर 2851 में से कोई भी रास्ता नहीं है, तव आवेदकगण का कुल रकबा 2.16 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर कम कर 1.96 हैक्टेयर रकबा रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया गया। इसलिए उक्त जमीन का भौतिक सत्यापन किया जाकर उक्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त दुरूस्ती की जानी है। नजरी नक्शे में मार्क । व ठ रेखा जो खसरा नम्बर 2850 में दर्शायी गई है, वह गलत दर्शायी गई है जबकि मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 2850 में से न होकर अन्य खसरा नम्बरान पर है परन्तु उक्त नक्शे में उक्त रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्ज है, जो रेवेन्यू कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उक्त रास्ते को गलत दर्शित कर दिया, जो दुरूस्त किया जाकर नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 2850 में से हटाकर नजरी नक्शे को मौके के अनुसार दर्ज किया जाना है तथा आवेदकगण की जमीन का सम्पूर्ण रकवा (1.96 + 0.20 है.) = 2.16 हैक्टेयर रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नक्शा ट्रेस को मौके पर भौतिक सत्यापन किया जाकर खसरा नम्बर 2850 में से अलग कर मौके की स्थिति के अनुसार नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी में वर्तमान खसरा नम्बर 2850 व 2851 का पुरा रकबा 2.16 हैक्टेयर किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार झुन्झुनू से मौका रिपोर्ट चाही गई। प्रार्थना पत्र में विभिन्न प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.05.2022, 29.09.2023 तथा 26.10.2023 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया, जिसका निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा मौका रिपोर्ट पत्रांक भू0अ0/2023/1716 दिनांक 16.08.2023 को प्रेषित की गई है जिसे शामिल मिशल किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने रिपोर्ट पेश की है कि वादीगण के वादपत्र के अनुसार कस्बा झुन्झुनू के साबिक खसरा नम्बर 1105 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा किस्म बारानी वादीगण की खातेदारी भूमि थी, जिसका भू–प्रबन्ध के पश्चात हाल खसरा नम्बर 2850 रकबा 0.90 है0, 2851 रकबा 1.06 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.96 है0 बना है। साबिक खसरा नम्बर 1105 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा भूमि को है0 मे परिवर्तित करने पर 2.16 है0 भूमि बनती है, जबकि हाल राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2850 रकबा 0.90 है0, 2851 रकबा 1.06 है0 एवं हाल खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.40 है0 भूमि में से वादीगण की 0.20 है0 भूमि खातेदारी दर्ज है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में बताया गया है कि हमारी 0.20 है0 भूमि को हाल भू–प्रबन्ध के दौरान कम कर दिया एंव खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.40 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में वादीगण का हिस्सा 1/2 होकर 0.20 है0 भूमि को रास्ते में दर्ज कर दिया। खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.40 है0 किस्म गै0मु0 वर्तमान में मौके पर रास्ता नहीं है। उक्त खसरे में वादीगण का हिस्सा कृषि योग्य ही है एवं शेष हिस्से में सघन आबादी बसी हुई है। वर्तमान में मौके पर रास्ता अन्य खसरा नम्बरान से चालू है जिस पर सड़क बनी हुई है।

पत्रावली पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि भू–प्रबन्ध के दौरान प्रार्थी की भूमि में से 0.20 है0 भूमि जो

Scanned with OKEN Scanner

कि कृषि उपयोग में आ रही है को भू–प्रबन्ध टीम ने सहवन से गै0 मु0 रास्ता दर्ज कर दिया जो उचित नहीं है। 2854 रकबा 0.40 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में प्रार्थी की कब्जा शुदा आधी भूमि खाली है तथा शेष भूमि पर सघन आबादी बसी हुई है तथा रास्ता मौके पर अन्य खसरा नम्बरान से होकर गुजरता है जिस पर डामर सड़क बनी हुई है तथा सुचारू रूप से आवागमन होता है। अतः भूमि खसरा नम्बर 2850 रकबा 0.90 है0, 2851 रकबा 1.06 है0 एवं खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.40 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में से प्रार्थी की भूमि 0.20 है0 को खसरा नम्बर 2850 व 2851 में शामिल किया जाकर प्रार्थी की भूमि का क्षेत्रफल 2.16 है0 किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे। साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में नजीर पेश की गई जिसे शामिल मिशल किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर होता है कि जमीन खसरा नम्बर 1105 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 2850 रकबा 0.90 है0 व 2851 रकबा 1.06 है0 कुल रकबा 1.96 है0 है, जबकि उक्त भूमि का रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा के हिसाब से 2.16 है0 होता है। उक्त भूमी का शेष रकबा खसरा नम्बर 2854 रकबा 0.40 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज हुआ है। जिसमें से 0.20 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार झुन्झुनू की मौका रिपोर्ट से भी साबित होता है कि खसरा नम्बर 2854 का आधा हिस्सा 0.20 है0 में मौके पर कोई रास्ता नहीं है एवं प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। उक्त 0.20 है0 भूमि को खसरा नम्बर 2850 व 2851 के साथ दर्ज की जाकर प्रार्थीगण के खाते का कुल रकबा 2.16 है0 शुद्ध किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। कस्बा झुन्झुनू स्थित भूमि खाता संख्या नया 504 में आवेदकगण के नाम दर्ज भूमि 0.20 है0 कम की जाकर खाता संख्या नया 487 में सम्मिलित कर उक्त भूमि की किस्म बारानी 3 कर उक्त खाता संख्या नया 487 का कुल रकबा 1.96 है0 की बजाय 2.16 है0 शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार नक्शा ट्रेश में भी खसरा नम्बर 2850 से लगता हुआ खसरा नम्बर 2854 के 0.20 है0 रकबे की मौके के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में तरमीम भी दुरूस्त की जावे। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड (नक्शा ट्रेश व जमाबंदी) में दुरूस्त कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 01/10/24 को सुनाया गया।

01/10/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner